GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.1610
TO BE ANSWERED ON 10.02.2021

STATUS OF PETITIONS

1610. SHRI NATARAJAN P.R.:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any petitions had been filed in the court challenging the notifications issued by the Railway Recruitment Board in 2018 and 2019 in respect of reservations for candidates with disabilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time when these petitions were filed and the present status of the case?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMERCE & INDUSTRY AND CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF UNSTARRED QUESTION NO. 1610 BY SHRI NATARAJAN P.R. TO BE ANSWERED IN LOK SABHA ON 10.02.2021 REGARDING STATUS OF PETITIONS

(a) to (c) Yes, Sir. A total of six petitions have been filed challenging the notifications issued by the Railway Recruitment Board in 2018 and 2019 in respect of reservations for candidates with disabilities. Details of these petitions are as under:

S.No.	Case details	Date of filing	Present status
1	Writ Petition No. 1855/2018 filed before the Hon'ble High Court of Delhi.	26.02.2018	The petitioner has sought revision of vacancies notified for visually handicapped candidates in two Centralised Employment Notifications (CEN) i.e. CEN- 01/2018 and CEN- 02/2018). Case was disposed vide judgement dated 29.01.2019. In compliance of Hon'ble Court's directions, total vacancies reserved for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) in these notifications were revised upwards by Railways.

2	**OA (Original Application) No. 252/2019 filed in Hon'ble Central Administrative Tribunal/ Cuttack.**	**09.04.2019**	**The applicant is seeking reservation for persons with Intellectual disabilities in vacancies notified vide CEN-03/2019 & CEN- RRC-01/2019. The case is sub judice.**
3	**OA No. 628/2020 filed in Hon'ble Central Administrative Tribunal/ Ernakulam.**	**22.12.2020**	**The applicant has pleaded that various categories of mental illness are not identified for vacancies notified vide CEN No. 02/2018. The case is sub judice.**
4	**WP No. 32902/2019 before Hon'ble High Court of Madras.**	**25.11.2019**	**The applicant filed OA No. 310/01064/2018 & MAs 216, 337/2019 seeking reservation for One Arm Locomotor disability in CEN No. 02/2018 which was dismissed by Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chennai Bench. Aggrieved by the impugned order dated 06.11.2019 of Hon'ble Central Administrative Tribunal, Chennai Bench, the**

			applicant has filed writ petition in the Hon'ble High Court, Madras. The case is sub judice.
5	**WP (Civil) No. 5208/2019 filed in Hon'ble High Court of Delhi.**	**10.05.2019**	**The case has been filed seeking reservation for persons with autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness in vacancies notified vide CEN-02/2018, CEN-01/2019 and CEN-RRC-01/2019. The case is sub judice.**
6	**WP (Civil) No. 40/2019 filed in Hon'ble High Court of Delhi.**	**21.12.2019**	**The applicants have pleaded for redressal of multiple grievances for Persons with Benchmark Disabilities in connection with recruitment done against Centralised Employment Notification (CEN) No. 02/2018.The case is sub judice.**

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.02.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1610 का उत्तर

याचिकाओं की स्थिति

1610. श्री पी.आर. नटराजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त अभ्यर्थियों के आरक्षण के संबंध में वर्ष 2018 और 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली कोई याचिका अदालत में दाखिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त याचिका/याचिकाएं कब दाखिल की गई और प्रकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

याचिकाओं की स्थिसति के संबंध में दिनांक 10.02.2021 को लोक सभा में श्री पी .आर. नटराजन के अतारांकित प्रश्नस सं 1610 के भाग (क) से (ग) के उत्त र से संबंधित विवरण।

(क) से (ग) : जी हां। दिव्यां0ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2018 और 2019 में जारी अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए कुल छह याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	मामले का विवरण	दाखिल करने की तारीख	मौजूदा स्थिकति
1	माननीय उच्चक न्यारयालय दिल्ली में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्ला्इन्डन द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका सं.1855/2018	26.02.2018	नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने दो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाओं (अर्थात सीईए न-01/2018 और सीईएन-02/2018) में दृष्टितबाधित उम्मीदवारों के लिए अधिसूचित रिक्तियों में संशोधन की मांग की। दिनांक 29.01.2019 के निर्णय के तहत मामला निपटा दिया गया है। माननीय न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन में , इन अधिसूचनाओं में बेंचमार्क दिव्यां गजनों के लिए आरक्षित कुल रिक्तियों को रेलवे द्वारा संशोधित करके बढ़ा दिया गया था।
2	माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ कटक में दाखिल किया गया मूल आवेदन सं.252/2019	09.04.2019	आवेदक ने सीईएन -03/2019 और सीईएन-आरआरसी-01/2019 के तहत अधिसूचित रिक्तियों में बौद्धिक रूप से दिव्यां गजनों के लिए आरक्षण की मांग की है। मामला न्यायाधीन है।
3	माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/ एर्णाकुलम में दाखिल किया गया मूल आवेदन सं.628/2020	22.12.2020	आवेदक ने अनुरोध किया है कि सीईएन सं.02/2018 के तहत अधिसूचित रिक्तियों के लिए मानसिक रोग की विभिन्न श्रेणियों को चिह्नित नहीं किया गया है। मामला न्यायाधीन है।
4	माननीय उच्चु न्याययालय मद्रास में दाखिल की गई रिट याचिका	25.11.2019	आवेदक ने सीईएन सं.02/2018 में वन आर्म लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आरक्षण की मांग करते हुए मूल आवेदन सं .310/01064/2018

Sk

	सं.32902/2019		और एमए 216, 337/2019 दाखिल की, जिसे माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण , चेन्नई पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था । माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण , चेन्नई पीठ के 06.11.2019 के निरस्त आदेश से संतुष्ट न होते हुए आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में रिट याचिका दाखिल की है। मामला न्यायाधीन है।
5	माननीय उच्चल न्यानयालय दिल्ली मेंदाखिल की गई रिट याचिका (सिविल) सं.5208/2019	10.05.2019	यह मामला सीईएन-02/2018, सीईएन-01/2019 और सीईएन-आरआरसी-01/2019 के तहत अधिसूचित रिक्तियों में स्वरलीनता (ऑटिज्म), बौद्धिक निशक्तीता, विशिष्ट शिक्षण निशक्तिता और मानसिक रूप से दिव्यां0गजनोंके लिए आरक्षण की मांग करते हुए दाखिल किया गया है। मामला न्यायाधीन है।
6	माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में दाखिल की गई रिट याचिका (सिविल) सं.40/2019	21.12.2019	आवेदक ने केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सं.02/2018 के तहत की गई भर्ती के संबंध में बेंचमार्क दिव्यां1गजनों के लिए कई शिकायतों के निवारण का अनुरोध किया है। यह मामला न्यायाधीन है।

******

Sk